

# समाज कल्याण विभाग

## उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम ) के अन्तर्गत  
आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम .....  
पिता/पति का नाम .....
2. पूरा पता ग्राम .....पो0 .....विकासखण्ड.....  
तहसील .....जिला.....
3. मृतक का नाम.....जाति.....
4. मृतक का पूरा नाम .....
5. मृतक की तिथि समय व स्थान .....
6. मृतक का कारण.....
7. मृतक का पेशा.....
8. मृतक की दिनांक को मृतक की उम्र.....
9. मृतक के परिवार की वार्षिक/मासिक आमदनी.....
10. आवेदक का मृतक से सम्बन्ध.....
11. मृतक के आश्रितों का विवरण.....

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बायां/दायां

स्थान: लखनऊ

प्रमाणित किया जाता है मृतक परिवार की आय का मुख्य साधक था मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी विभाग द्वारा कोई पेशन/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन-पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। आवेदन -पत्र में जो सूचना दी गई है वह सत्य है और यदि गलत पाई जाय तो प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार को दूंगा/दूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बायां/दायां

नोट:- आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायगा।

1- मृतक परिवार के आय का मुख्य साधक था तथा परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

2- मृतक की उम्र का प्रमाण-पत्र।

3- मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आसमायिक/दुर्घटना मृत्यु होने की दशा में दर्ज कराई गई ए0आई0आर0 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कापी।